पत्रांक 2ब०/ना०सु०–03–03/2015 3998 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन/हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०– 11, दिनांक– 06.06.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:–

कंडिका–02 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत घोघरडीहा के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

2. उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत घोघरडीहा के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

30.7.19

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

3998
पत्रांक 2ब०/ना०सु०–03–03/2015 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 30/07/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमडंल,/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत घोघरडीहा/प्रबंध निदेशक बुडको/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल ,नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई० मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.19

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 11 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–06/06/19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पंचायत, घोघरडीहा में नागरिक सुविधा मद के अंतर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु कुल ₹139.33300 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹69.66650 लाख (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पंचायत, घोड़डीहा में सम्राट अशोक भवन निर्माण हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ– 4 के अनुरूप कुल ₹139.33300 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 5 के अनुरूप तत्काल ₹69.66650 लाख (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4–5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत, घोघरडीहा	सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य।	139.33300	69.66650	69.66650
		कुल योग	**139.33300**	**69.66650**	**69.66650**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹69.66650 लाख (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹69.66650 लाख (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा होगें**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019 में

निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019--20 में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जाएगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹69.66650 लाख (उनहत्तर लाख छियासठ हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वय का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

7. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) योजना का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) सम्राट अशोक भवन का निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप किया जायेगा। विभाग द्वारा उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के लिए अलग अलग मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्रति विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, विभाग का नाम, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०–03–03/2015के पृष्ठ सं०–221/टि० पर दिनांक–28.5.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–222/टि० पर दिनांक–31.5.19 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.06.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 11 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–06.6.19

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, घोघरडीहा/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.06.19

सरकार के विशेष सचिव।